क्रम-सं0-202

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024
06 अग्रहायण, शक संवत् 1946

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या : 2519/वि0स0/4/संसदीय/2024

लखनऊ, दिनांक 27 नवम्बर, 2024

———————

अधिसूचना

———————

प्रकीर्ण

चूंकि, इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2338/वि0स0/4/संसदीय/2024, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति का गठन किया गया था;

और, चूंकि, श्री अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में तथा श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी) को प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति में दिनांक 27 नवम्बर, 2024 से नाम-निर्दिष्ट कर दिया गया है;

अतः सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में तथा श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी) प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति में शेष कालावधि के लिये समिति के सदस्य निर्वाचित माने जायेंगे।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 41 राजपत्र (246)-28-11-2024-585+15 प्रतियां।